मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 3–2/2017/2/34 भोपाल दिनांक 08 JUL 2019

//परिपत्र//

राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11 मई, 2017 से प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना" प्रारंभ की गई है। उक्त परिपत्र में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दिये नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन करते हुये मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना सहित अन्य समस्त प्रकार की (लघु स्वरूप की नलजल योजनाओं को छोड़कर) नवीन नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं :–

1. नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन "राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के अंतर्गत नलजल योजना घटक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2. नलजल योजना में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों के चिन्हांकन, चयन, योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के संबंध में निम्न नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं :–

2.1 योजना हेतु यथासंभव बड़े ग्रामों का चिन्हांकन किया जायेगा, तथा इन ग्रामों में उपलब्ध जल स्रोतों की क्षमता का आंकलन किया जायेगा। जहाँ पर्याप्त क्षमता का स्रोत विद्यमान न हो, वहाँ स्रोत निर्माण की संभावना का परीक्षण कर स्रोत निर्माण का कार्य किया जायेगा। पर्याप्त क्षमता का स्रोत उपलब्ध/विकसित होने के उपरांत ही योजना के अन्य अवयवों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

2.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम के चिन्हांकन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे :–

अ) जनसंख्या का मापदण्ड :–

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या के ग्राम।

अथवा

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम।

ब) ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या अधिक है अथवा जो जलगुणवत्ता से प्रभावित हैं, उन्हें चिन्हांकन में यथासंभव प्राथमिकता दी जाये।

स) क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों में उपरोक्त बिन्दु–अ में निहित जनसंख्या की सीमा से कम जनसंख्या के ऐसे ग्रामों का चिन्हांकन भी किया जा सकेगा, जिनमें पेयजल समस्या रहती है तथा उनमें नलजल योजना का क्रियान्वयन कर पेयजल की उपलब्धता का स्थायी समाधान किया जा सकता है। ऐसे ग्रामों की नलजल योजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में इन परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

द) जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु उन ग्रामों को योजना के क्रियान्वयन में प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके द्वारा अंशदान/जनभागीदारी की राशि दी जायेगी। योजना लागत का 3 प्रतिशत सामान्य बसाहटों एवं 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य बसाहटों से अंशदान/जनभागीदारी की राशि के रूप में लिया जायेगा।

इ) ऐसे ग्राम जिनकी किसी बसाहट में स्पॉट सोर्स योजना पूर्व में क्रियान्वित की गयी हो, परंतु उसमें जल वितरण प्रणाली का निर्माण नहीं किया गया हो, को चिन्हांकित किया जा सकता है।

ई) ऐसे ग्राम जिनकी किसी भी बसाहट में पूर्व में नलजल योजना (स्पॉट सोर्स योजना को छोड़कर) का क्रियान्वयन हुआ हो अथवा ऐसे ग्राम जो प्रगतिरत समूह नलजल योजना (विभाग एवं जल निगम द्वारा क्रियान्वित) में सम्मिलित हो, उन्हें योजना हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः– 2

2.3 ग्राम का चिन्हांकन होने के उपरांत जल स्रोतों की क्षमता का आंकलन कार्यपालन यंत्री तथा भूजलविद द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। स्त्रोत के पेयजल गुणवत्ता का आंकलन कार्यपालन यंत्री तथा जिला प्रयोगशाला रसायनज्ञ द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

अ) जहाँ विद्यमान स्रोतों की जल आवक क्षमता पर्याप्त एवं जल गुणवत्ता स्वीकार्य योग्य हो, वहाँ योजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार की जा सकेगी।

ब) जहाँ विद्यमान स्रोत में जल आवक क्षमता अपर्याप्त हो अथवा जल गुणवत्ता स्वीकार्य योग्य न हो, वहाँ नये स्रोत निर्माण करने की संभावना ज्ञात की जायेगी। यदि ऐसे स्रोतों की संभावना हो, तो स्रोत निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, किन्तु यदि अधिकतम 2 नलकूप खनित् किए जाने पर खनन के दौरान योजना की आवश्यकतानुसार जल आवक क्षमता प्राप्त न हो, तो इससे अधिक संख्या में नलकूप खनित् न किए जावे तथा ग्राम का चयन एकल ग्राम नलजल योजना हेतु न किया जाये।

स्रोत निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया अनुसार सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी, एवं इस कार्य हेतु राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नलजल योजना घटक से राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

नवीन स्रोत निर्माण उपरांत इनकी जल आवक क्षमता एवं जल गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा, तथा योजना के लिये उपयुक्त पाये जाने पर ग्राम की योजना की डी.पी.आर. तैयार कराई जा सकेगी।

स) नलजल योजना के स्रोत हेतु खनित् नलकूप जिनमें योजना की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं हुई हो, किन्तु उनमें हैंडपंप स्थापना कर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है, तो ऐसे नलकूपों पर यथासंभव हैंडपंप की स्थापना की जावे, जिससे हैण्डपंप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो सके।

2.4 योजना की डी.पी.आर. में यथासंभव ग्राम के समस्त आवासों को घरेलू नल कनेक्शन (हाउस होल्ड कनेक्शन) दिये जाने का प्रावधान आवश्यक रूप से किया जावेगा तथा योजना क्रियान्वयन के दौरान ही यथासंभव प्रत्येक आवास को एक घरेलू नल कनेक्शन दिया जायेगा।

2.5 नलजल योजना के क्रियान्वयन तथा उसके संचालन–संधारण के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये संकल्प ठहराव प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होगा :–

अ) ग्राम पंचायत अथवा पंचायत की पेयजल से संबंधित उप/तदर्थ समिति द्वारा नलजल योजना के क्रियान्वयन उपरांत उसका संचालन–संधारण किया जावेगा।

ब) योजना के क्रियान्वयन के दौरान आवासों (उपभोक्ता) को दिये जाने वाले घरेलू नल कनेक्शन (हाउस होल्ड कनेक्शन) दिये जाने के पूर्व पंचायत अथवा पंचायत की पेयजल से संबंधित उप/तदर्थ समिति द्वारा संबंधित उपभोक्ता से नल कनेक्शन प्रभार एवं प्रतिभूति (Tap Connection Charges and Security Deposit) हेतु निर्धारित राशि ली जायेगी तथा उसकी पावती संबंधित को दी जायेगी।

स) नलजल योजना से दिये गये घरेलू/व्यवसायिक/औद्योगिक नल कनेक्शन के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा मासिक जलदर (उपभोक्ता शुल्क) हेतु निर्धारित राशि नियमित रूप से लिये जाने की लिखित सहमति ग्राम पंचायत अथवा पंचायत की पेयजल से संबंधित उप/तदर्थ समिति को देना होगा।

क्रमशः– 3

द) ग्राम की योजना को यदि भविष्य में समूह योजना से बल्क कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो पंचायत द्वारा इस हेतु निर्धारित कनेक्शन प्रभार, प्रतिभूति एवं जलदर की राशि विभाग/जल निगम को देने के लिये सहमति देना होगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत से पारित कराये जाने वाले संकल्प पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

2.6 डी.पी.आर. परीक्षण उपरांत योजना क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाकर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी।

2.7 मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना के अंतर्गत कनेक्शन प्रभार, प्रतिभूति, तथा जनभागीदारी अंशदान की राशि नहीं ली जाएगी, परंतु लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित जलदर का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

2.8 एक वित्तीय वर्ष में नलजल योजना मद में विभाग को प्राप्त होने वाली राशि की दोगुनी सीमा तक ही योजनाओं की स्वीकृतियाँ जारी की जा सकेगी। प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं की संख्या का निर्धारण प्रदेश के कुल ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर किया जाये।

3. कम जनसंख्या वाले ग्रामों/बसाहटों में क्रियान्वित की जाने वाली सोलर पंप, सिंगल फेस मोटर पंप आदि आधारित लघु स्वरूप की नलजल योजना को तैयार करने हेतु वर्तमान में प्रचलित नीति/मापदण्ड/दिशा निर्देश ही लागू रहेंगे ।

4. स्वजल सहित अन्य विशेष प्रकार की योजनाओं (जिनके क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश अथवा केन्द्र से अनुदान के रूप में राशि प्राप्त होती है) के क्रियान्वयन में यदि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त से भिन्न मापदण्डों का निर्धारण किया जाता है तो ऐसी योजनाओं हेतु भारत सरकार के मापदण्डों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण किये जाने हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आवश्यकता अनुसार निर्देश जारी कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

08/07/2019
(राजेश शार्क्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3–2/2017/2/34 भोपाल दिनांक .... 08 JUL 2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल।
5. संभागायुक्त, संभाग .....(समस्त)।
6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .....परिक्षेत्र.....(समस्त)।
7. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ...मण्डल/परि.मं.....(समस्त)।
8. कलेक्टर, जिला .....(समस्त)।
9. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/परियोजना खण्ड .....(समस्त)।

08/07/2019
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

परिशिष्ट

ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव का प्रारूप

कार्यालय ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....
जिला .... (म.प्र.)

:: ठहराव प्रस्ताव ::

प्रस्ताव क्रमांक दिनांक ....

क्रं.	विषय	पारित प्रस्ताव
1.	ग्राम .... की नलजल योजना के क्रियान्वयन उपरांत उसके संचालन–संधारण सहित अन्य बिन्दुओं पर सहमति बावत्।	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र. शासन द्वारा ग्राम पंचायत .... के ग्राम .... में नलजल योजना प्रस्तावित की गई है। नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत .... निम्नानुसार प्रस्ताव पारित करती है :– 1. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित नलजल योजना के संबंध में ग्राम पंचायत एवं पंचायत की पेयजल उप/तदर्थ समिति में विस्तृत चर्चा और सहमति के आधार पर के क्रियान्वयन हेतु सहमति प्रदान की जाती है। 2. नलजल योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना के समस्त अवयवों को पंचायत अपने अधीन हस्तांतरण में लेने तथा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से पंचायत अथवा पंचायत की पेयजल से संबंधित उप/तदर्थ समिति के माध्यम से उनका संचालन–संधारण कराने की सहमति प्रदान करती है। 3. योजना के क्रियान्वयन के दौरान परिवारों/घरों (उपभोक्ता) को दिये जाने वाले घरेलू नल कनेक्शन (हाउस होल्ड कनेक्शन) के एवज में पंचायत अथवा पेयजल से संबंधित पंचायत की उप/तदर्थ समिति द्वारा संबंधित परिवार/घर से नल कनेक्शन प्रभार एवं प्रतिभूति (Tap Connection Charges and Security Deposit) हेतु निर्धारित राशि लिये जाने तथा उसकी पावती संबंधित को दिये जाने की सहमति प्रदान करती है। 4. नलजल योजना से दिये गये घरेलू/व्यवसायिक/औद्योगिक नल कनेक्शन के विरूद्ध उपभोक्ता से मासिक जलदर हेतु निर्धारित राशि नियमित रूप से लिये जाने की सहमति प्रदान करती है। 5. नलजल योजना हेतु आवश्यक विद्युत कनेक्शन सरपंच के नाम से लिये जाने तथा योजना के अवयवों की निर्माण हेतु आवश्यक भूमि को सरपंच ग्राम पंचायत के नाम हस्तांतरित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही में सहयोग करने की सहमति प्रदान करती है। 6. योजना क्रियान्वयन उपरांत पंचायत योजना का संचालन/संधारण जलदर वसूली एवं पंचायत के अन्य संसाधनों से करेगी। 7. ग्राम की योजना को यदि भविष्य में समूह योजना से बल्क कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो पंचायत द्वारा इस हेतु निर्धारित बल्क कनेक्शन प्रभार, प्रतिभूति एवं जलदर की राशि विभाग/जल निगम को देने के लिये सहमति प्रदान करती है। उक्त पारित प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड .... (म.प्र.) को शीघ्र कार्य संपादित करने हेतु आग्रह करने के लिये प्रेषित किया जाता है।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यां.विभाग, भोपाल

सचिव
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....

सरपंच
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....